[11/8/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 307]

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 307

परिशिष्ट

शोभायमान मछलियों के उत्पादन हेतु नीति निर्देश

प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना क्रियान्वित है उक्त योजना में शोभायमान मछली के उत्पादन एवं विपरण के कार्यक्रम भी सम्मिलित है उक्त योजनान्तर्गत यूनिट कॉस्ट की राशि का सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति /जनजाति एवं महिला को 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है जो कि निम्नानुसार है:-

क्रं	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत रू. लाख में	अनुदान सहायता राशि रू. लाख में	
			सामान्य 40 प्रतिशत	अनु.जाति/ जनजाति/ महिला 60 प्रतिशत
1.	बैंकयार्ड सजावटी मछली पालन इकाई	3.00	1.20	1.80
2.	मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई	8.00	3.20	4.80
3.	एकीकृत सजावटी मछली इकाई	25.00	10.00	15.00
4	सजावटी मछली के बुड़ बैंक की स्थापना	100.00	40.00	60.00
5	एक्वेरियम/सजावटी मछली की कियोस्क का निर्माण	10.00	4.00	6.00

26.7.2021

संचालक मत्स्योद्योग
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछली पालन विभाग